न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2020/ 100 दिनांक – 14.01.2020

प्रार्थीगण

1 लालाराम पुत्र रामचन्द्रराम 2 दीपाराम 3 मेहराराम 4 पोकराराम पिसरान लच्छाराम 5 चुतराराम 6 वगताराम 7 देवाराम पिसरान लिछमणाराम 8 जोगाराम 9 नारणाराम 10 मूलाराम पिसरान चौखाराम 11 लाली पत्नी चौखाराम जाति जाट निवासी जान्दुओं की नाडी (हाथीतला) तहसील व जिला बाडमेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 गिरधारीराम पुत्र वीरमाराम 2 देदाराम पुत्र उमाराम 3 पूराराम पुत्र दुर्गाराम 4 गजाराम 5 डूंगराराम 6 केसाराम 7 जुंजाराम पिसरान गोमाराम 8 नगाराम 9 धीराराम पिसरान दुर्गाराम 10 डालुराम 11 लालाराम 12 विशनाराम 13 अमराराम 14 जोगाराम पिसरान रामदानराम 15 गेनाराम पुत्र धर्माराम 16 खेताराम 17 जालाराम पिसरान उदाराम 18 लिखमाराम 19 वागाराम पिसरान वीरमाराम 20 पपूराम पुत्र तिलाराम 21 बांकाराम 22 जगमालराम पिसरान उमाराम 23 मूलाराम 24 चैनाराम पिसरान कलाराम 25 कोहलाराम पुत्र वीरमाराम जाति जाट निवासी जान्दुओं की नाडी (हाथीतला) तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 217/2019 दिनांक– 07.01.2020

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जान्दुओं की नाडी पटवार क्षेत्र हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 629 रकबा 0.18 बीघा, खसरा संख्या 630 रकबा 147.03 बीघा, खसरा संख्या 628 रकबा 207.02 बीघा, खसरा संख्या 633 रकबा 01.00 बीघा, खसरा संख्या 634 रकबा 0.13 बीघा व खसरा संख्या 635 रकबा 88.16 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2020/101 - 104 दिनांक– 14.01.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी हाथीतला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. लालाराम पुत्र रामचन्द्रराम वगैराह जाति जाट निवासी जान्दुओं की नाडी (हाथीतला) तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी गिरधारीराम पुत्र वीरमाराम वगैराह जाति जाट निवासी जान्दुओं की नाडी (हाथीतला) तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2020.02.19 14:50:22 IST
Reason: SelfAttested